न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 174 / 2019
निर्णय दिनांकः— 11.01.2021

उनवान

नेनतारा पत्नी हेमराज जाति नट निवासी सडा तहसील उनियारा जिला टोंक
प्रार्थीयां

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)
—
प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री आर0 के0 सैनी वकील प्रार्थीयां
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 488 रकबा 0.77, ख0न0 494 रकबा 0.80, ख0न0 585 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम सडा तहसील उनियारा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार लक्ष्मी पत्नी श्योरामा, रामवतार पुत्र श्योरामा जाति बैरवा निवासी सडा से खरीद की थी। जब विकय पत्र लिखा गया, उसमे प्रार्थीया का नाम नेनतार पत्नी हेमराज लिखने के स्थान पर सहवन से नेनतारा पत्नी रणजीत लिख दिया, जबकि प्रार्थिया के पति का नाम हेमराज है तथा रणजीत प्रार्थीया का दादीससुर है। प्रार्थीया अनपढ महिला है तथा उक्त गलती सहवन से हुई है। पति केनाम केस्थान पर दादीससुर का नाम अंकित हो गया है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि मे प्रार्थीया का नाम नेनतारा पत्नी हेमराज अंकित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम सहवन से नेनतारा पत्नी रणजीत अंकित कर दिया गया है, जिस कारण प्रार्थिया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य मे विकय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थीयां की अधियाचना है कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 488 रकबा 0.77, ख0न0 494 रकबा 0.80, ख0न0 585 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम सडा तहसील

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थीया का नाम नेनतारा पत्नी रणजीत के स्थान पर नेनतारा पत्नी हेमराज अंकित करवाते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई है। विक्रय पत्र मे प्रार्थीया के पति का नाम रणजीत लिखा जाकर विक्रय पत्र पंजीबद्व हुआ है। इस विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम सडा का नामन्तरकरण संख्या 188 दिनांक 07.03.2011 पारित हुआ है। पंजीबद्व विक्रय पत्र मे शुद्वि करवाने के उपरान्त ही धारा 75 आर एल आर एक्ट के तहत ग्रमा सडा का नामान्तकरण संख्या 188 पर पारित आदेश की अपील की जानी चाहिये। प्रार्थीया का प्रकरण खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम सडा मे आराजी ख0न0 488 रकबा 0.77, ख0न0 494 रकबा 0.80, ख0न0 585 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 है0 आरती पुत्री श्योराम हिस्सा 1/4 जाति बैरवा, श्रीमती नेनतारा पत्नी रणजीत हिस्सा 1/2 जाति नट व सोभा पुत्री श्योराम हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा0 देह की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजीयात हिस्सा 1/2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। विक्रय पत्र मे नेनतारा पत्नी रणजीत दर्ज है तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण भरा जाकर जमाबन्दी मे अंकन हुआ है। प्रार्थीया को रजिस्ट्री मे अंकित नाम मे सुधार के लिये सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही कर कराना चाहिये था। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत नहीं आता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा